10

न्यायालय में - श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

II/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/0865

कामता पटेल, आयु 40 वर्ष, पिता रामराखन पटेल, (कुर्मी)
निवासी–बरहाटोला, तहसील ब्यौहारी, थाना ब्यौहारी,
जिला–शहडोल (म0प्र0) ------------------------------ निगरानीकर्ता

बनाम

1. गनाराम, पिता बिहारी कुर्मी, आयु 45 वर्ष,
2. मु0 राजबाई पति हीरालाल, आयु 46 वर्ष,
3. प्रदीप कुमार पिता हीरालाल, आयु 25 वर्ष,
4. सोनू पिता हीरालाल, आयु 31 वर्ष,
5. पंकज आयु 17 वर्ष, नाबालिग पिता हीरालाल,
जरिये वली सरपरस्त माता मु0 राजबाई पति हीरालाल,
6. दीपिका पिता हीरालाल, आयु 23 वर्ष,
7. बृजभूषण पिता रामराखन कुर्मी, आयु 54 वर्ष,
8. रामेश्वर पिता रामराखन कुर्मी, आयु 50 वर्ष,
9. जयमतिया पति रामराखन कुर्मी, आयु 80 वर्ष,
सभी निवासीः बरहाटोला, तहसील ब्यौहारी, थाना ब्यौहारी,
जिला–शहडोल (म0प्र0)
9. टोराबाई पति रामकेस, आयु 51 वर्ष, पिता रामहित कुर्मी,
निवासीः करौंजिया, तहसील व थाना ब्यौहारी, जिला–शहडोल (म0प्र0)
10. सुमित्रा उर्फ कैंची आयु 44 वर्ष, पति रामखगेश पिता सदाराम कुर्मी
साकिन नगनौड़ी, थाना व तहसील जयसिंहनगर,
जिला–शहडोल (म0प्र0)
11. रम्मी पिता ठेमानी कुर्मी, आयु 70 वर्ष,
सा0 खड्ढा, तहसील ब्यौहारी, जिला–शहडोल (म0प्र0)
12. सुक्खी पिता ठेमानी कुर्मी, आयु 75 वर्ष, सा0 नगनौड़ी,
थाना व तहसील जयसिंहनगर, जिला–शहडोल (म0प्र0) ---------- गैरनिगरानीकर्ता

श्री ...... द्वारा आज दि. 01.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.2.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1.2.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल के प्रकरण क0–20/अपील/16–17 आदेश दिनांक 25.01.2018

कामता

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / शहडोल / भूरा / 2018 / 0865

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
02/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 20 / 2016–17 / अपील में पारित आदेश दिनांक 25.1.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरहाटोला स्थित आराजी किता 9 कुल रकवा 1.247 है0 भूमियों का बटवारा किये जाने का आवेदन पत्र श्रीमती राजबाई पत्नी हीरालाल पटेल आदि द्वारा दिया गया था। तहसीलदार ब्यौहारी ने हल्का पटवारी से फर्द बटवारा पत्रक मंगाते हुये उभय पक्षों को सुनवाई कर बटवारा आदेश पारित किया गया। जिससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, उनके द्वारा दिनांक 20.10.16 को अपील निरस्त कर तहसीलदार ब्यौहारी का आदेश दिनांक 30.10.15 यथावत रखा गया। जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई है।	
	3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा खाते का बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन	

सभी सहखातेदारों के बंटवारा पत्रक में हस्ताक्षर नहीं हैं यानी कि सभी पक्षकार सहमत नहीुं हैं औरी न ही सहमति के आधार पर ही बंटवारा पत्रक तैयार किया गया है। जबकि तहसीलदार को सभी को आहूत कर सहमति लेना चाहिये थी। बिना सहखातेदारों की सहमति के बगैर बटवारा किया गया है जिस पर अपर आयुक्त द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है इसलिये उनका आदेश दिनांक 25.1.18 त्रुटिपूर्ण है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25.1.18 स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 20/2016—17/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.1.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार ब्यौहारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये बंटवारा आदेश पारित करें।

सदस्य